

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 615 / 2020 दिनांक : 25.02.2020

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री धर्मेन्द्र शर्मा (RJ0286). न्यायाधीश. न्यायालय, कोटा	30	2018 - 2020	12/02/20

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/75/1996/1405

दिनांक : 25.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री धर्मेन्द्र शर्मा (RJ0286), न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


24/2/20

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 614 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री सचिन गर्मा (RJ1022), विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपरि उचित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपरिचय अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपरोक्त अवकाशों सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गर्मा को अर्जपरिचय में विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण अधिनियम क्रम-03, जयपुर के अवकाश एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


25.2.2020

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/10/2016/1404 दिनांक : 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को संयोज्य एवं आवश्यक कायदाही हेतु भिजत है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।

2. विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर को

उनके पत्रांक 197 दिनांक 05.02.2020 के संदर्भ में।

3. श्री सचिन गर्मा (RJ1022), विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण

अधिनियम क्रम-02, जयपुर।

4. विशेष न्यायाधीश, अजमेर निवारण अधिनियम क्रम-03, जयपुर।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- र.शा.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 6)3 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्रीमती बृजमार्पटी शर्मा (R.10362), विशेष न्यायाधीश, अ.ज. जाति / अर्जसहित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपर्युक्त अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपशांग को अर्जसहित सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अर्जपरिस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, अ.ज. जाति / अर्जसहित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली के पद पर ही होने की संभावना है।

क्रमांक :- र.शा.बी.र(4)/68/2000/1403 दिनांक : 25.02.2020

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 202 दिनांक 21.01.2020 के संदर्भ में।
3. श्रीमती बृजमार्पटी शर्मा (R.10362), विशेष न्यायाधीश, अ.ज. जाति / अर्जसहित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
4. विशेष न्यायाधीश, अ.ज. जाति / अर्जसहित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।

सहायक रजिस्ट्रार
25.2.2020

आजा से
25.2.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- र.या.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 612 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री कैलाश चन्द मिश्रा (R10289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा की दिनांक 28.01.2020 से 01.02.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभाग की अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मिश्रा की अर्जमति में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-01, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा के पद पर ही की गई।

आजा से
25.02.2020
राजिस्ट्रार (बालिकरण)

क्रमांक:- र.या.बी.र(4)/92/1996/1402 दिनांक 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर। विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा की उक्त पत्रांक 63 दिनांक 03.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्री कैलाश चन्द मिश्रा (R10289), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-05, कोटा।
4. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लौक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-01, कोटा।

25.2.2020
राजिस्ट्रार

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 611 / 2020 दिनांक 25.02.2020

डॉ. कैलाश चन्द अटवसिया (R10357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामा (भरतपुर) को दिनांक 27.01.2020 से 01.02.2020 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग को अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. अटवसिया को अर्जस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, डीवा (भरतपुर)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कामा (भरतपुर) से इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामा (भरतपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

१५.१.२०२०
राजिस्ट्रार (वकीलरप)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/63/2000/1461 दिनांक : 25.02.2020

प्रतिरिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विद्य एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 931 दिनांक 05.02.2020 के संदर्भ में।
3. डॉ. कैलाश चन्द अटवसिया (R10357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामा (भरतपुर)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामा (भरतपुर)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, डीवा (भरतपुर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कामा (भरतपुर)।

सहायक राजिस्ट्रार
१५-२-२०२०

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 610 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04. भरतपुर को दिनांक 27.01.2020 से 01.02.2020 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अर्जादि सहित स्वीकृत किया जाता है।
श्री टाक की अर्जस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01. भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04. भरतपुर के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/80/2000/1400 दिनांक 25.02.2020
पतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजत है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 891 दिनांक 04.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04. भरतपुर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04. भरतपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01. भरतपुर।

आजा सं
9599080
राजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

25.2.20
अवकाश राजिस्ट्रार

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 60 ७ / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री राजेश कुमार मीना (RJ0815), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायािक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारा) को दिनांक 22.01.2020 से 24.01.2020 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.01.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग को अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मीना की अर्जपत्रिथति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायािक मजिस्ट्रेट, बारा/सिविल न्यायाधीश एवं न्यायािक मजिस्ट्रेट, अतरु (बारा) से इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायािक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारा) के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/97/2013/ 39 ७ दिनांक : 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।

2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारा को उनके पत्रांक 157/501 दिनांक 31.01.2020 के संदर्भ में।

3. श्री राजेश कुमार मीना (RJ0815), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायािक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारा)।

4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायािक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारा)।

5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायािक मजिस्ट्रेट, बारा।

6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायािक मजिस्ट्रेट, अतरु (बारा)।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

आज्ञा से
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- रथा.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 607 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्रीमती शाईस्ता लोधी (R11073), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर) को दिनांक 04.02.2020 से 05.02.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती लोधी की अर्जपरिस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मूर्ख न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर) में इनके आवश्यक एवं दिनांक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर) के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- रथा.बी.र(4)/61/2016/ 1397 दिनांक 25.02.2020

पतिलिपि निम्न की संचनाएं एवं आवश्यक कायदाक्षी हेतु प्रेषित है :

1. परमेश शासन सचिव, विद्यु एवं विद्युत कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीवांगानगर को उनके पत्रांक 392 दिनांक 06.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्रीमती शाईस्ता लोधी (R11073), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मूर्ख न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर (श्रीवांगानगर)।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

आजा सं
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 666 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री राजवीर सिंह (R.10221), विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर न्यायालय, अजमेर को दिनांक 15.01.2020 से 16.01.2020 तक 02 दिनों का अद्वैतलोक अवकाश दिनांक 14.01.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अर्जा सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अर्जस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर-02, अजमेर न्यायालय एवं जिला न्यायालय को देखाया जाये।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर न्यायालय, अजमेर के पद पर ही की जाये।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/26/1996/1396 दिनांक 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को संवन्ध एवं आवश्यक कादावाही हेतु भिजत है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर न्यायालय, अजमेर को 50 दिनांक 17.01.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजवीर सिंह(R.10221), विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर न्यायालय, अजमेर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमा-02, अजमेर।

राजस्थान (वर्गीकरण)

आजा सं
25.2.2020

राजस्थान
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 605 / 2020 दिनांक : 25.02.2020

श्री राजवीर सिंह (R10221), विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर निवारण अदालत, जयपुर को दिनांक 06.01.2020 से 10.01.2020 तक 05 दिनों का उपजित अवकाश दिनांक 11.01.2020 से 12.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अर्जापत्र सहित स्वीकृत किया जाता है। श्री सिंह की अर्जापत्रपत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर ने उनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर उनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर निवारण अदालत, जयपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


25.2.2020

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/26/1996/1395 दिनांक : 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को संयोज्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर निवारण अदालत, जयपुर।
3. श्री राजवीर सिंह(R10221), विशेष न्यायाधीश, विधि न्यायालय, अजमेर निवारण अदालत, जयपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर।

सहायक जज
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- रथा.सी.अवकाश / 604 / 2020 दिनांक: 25.02.2020

श्री उमा शंकर शर्मा (R30207), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपजित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अर्जपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर को अवकाश से नौटन पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

क्रमांक:- रथा.बी.र(4)/13/1996/ 1394 दिनांक: 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर को उनके पत्रांक 07 दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में।
3. श्री उमा शंकर शर्मा (R30207), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
25-2-2020

आजा से
25.02.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 603 /2020 दिनांक : 25.02.2020

श्री दीपक पाराशर (RJ0569), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, कोटा को दिनांक 06.03.2020 से 07.03.2020 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पाराशर की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, कोटा के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

25.2.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/78/2008/ 13 93

दिनांक 25.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 581 दिनांक 10.02.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री दीपक पाराशर (RJ0569), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, कोटा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, कोटा ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, कोटा ।


25-2-2020
सहायक रजिस्ट्रार

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.स.)अवकाश / 602 / 2020 दिनांक: 25.02.2020

श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी (RJ0075), जिला एवं सेशन न्यायाधीश.

जोधपुर को दिनांक 05.02.2020 से 06.02.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित

अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री सोनी की अर्जपरिस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश.

श्रीनमान (जोधपुर)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट.

जोधपुर में इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश.

जोधपुर के पद पर ही की गई।

राजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.र(4)/29/1992/ 1392 दिनांक: 25.02.2020

प्रतिनिधी निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान.

जोधपुर।

2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर को उनके पत्रांक 20 दिनांक

07.02.2020 के संदर्भ में।

3. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी (RJ0075), जिला एवं सेशन न्यायाधीश.

जोधपुर।

4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीनमान (जोधपुर)।

5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर।

सहायक राजिस्ट्रार

25.2.2020

आजा से
Munish G.S. Khosla

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 60 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री पवन कुमार (R10338). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-17, जयपुर महानगर को दिनांक 09.12.2019 से 22.12.2019 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री पवन कुमार की अर्जपरिस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जयपुर महानगर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-18, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-17, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/42/2000/ 1391 दिनांक : 25.02.2020

पतिविरह निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 582 दिनांक 18.01.2020 के संदर्भ में।
3. श्री पवन कुमार (R10338), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-17, जयपुर महानगर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-17, जयपुर महानगर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जयपुर महानगर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-18, जयपुर महानगर।

राजस्थान उच्च न्यायालय
25.2.2020

आजा से
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 600 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री संतोष अग्रवाल (R10553), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-13, जयपुर महानगर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपस्थित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपथित अवकाशों के उपभोग की अर्जापत्र सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अग्रवाल की अर्जपरिस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-14, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-13, जयपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/12/2008/ 1390 दिनांक : 25.02.2020

पतिलिपि लिम्ब को संवनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विद्य एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।

2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1256 दिनांक 04.02.2020 के संदर्भ में।

3. श्री संतोष अग्रवाल (R10553), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-13, जयपुर महानगर।

4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-13, जयपुर महानगर।

5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-14, जयपुर महानगर।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

आजा से
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश/599/2020 दिनांक 25.02.2020

श्री प्रशान्त अग्रवाल (R.10476), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-19, जयपुर महानगर (सागानेर) को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपणित अवकाशों के उपशेष की अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अग्रवाल की अर्जपरिस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य को देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-19, जयपुर महानगर (सागानेर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा सं

 राजस्टार (वाकीकरण) दिनांक 25.02.2020
 क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2005/ 1389

1. परमेश शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1121 दिनांक 31.01.2020 के संदर्भ में।
3. श्री प्रशान्त अग्रवाल (R.10476), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-19, जयपुर महानगर (सागानेर)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-19, जयपुर महानगर (सागानेर)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जयपुर महानगर।

महायुक्त राजस्टार
 25-2-2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.रा.न्या.सं.अवकाश / 598 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री कमल छगणी (RJ0200), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय.

बालोतरा को दिनांक 04.02.2020 से 06.02.2020 तक 03 दिनों का परावर्तित

अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री छगणी की अर्जपरिस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक

न्यायालय, बालोतरा के पद पर ही की गई।

आजा से

आजा से
25.2.2020
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/03/1996/ 1388 दिनांक: 25/2/20

पतिलिपि निम्न को संचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. परमेश शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान.

जयपुर।

2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा को उनके पत्रांक 126

दिनांक 07.02.2020 के संदर्भ में।

3. श्री कमल छगणी (RJ0200), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,

बालोतरा।

4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 537 - / 2020 दिनांक : 25.02.2020

श्री दलीप सिंह (R10300), विधि न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लोक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, जयपुर जिला, जयपुर को दिनांक 03.02.2020 से आयात अधिनियम, 2005, जयपुर जिला, जयपुर को दिनांक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 02, जयपुर जिला, जयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विधि न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लोक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, जयपुर जिला, जयपुर के पद पर ही की गई।


क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/03/2000/ 1387 दिनांक : 25.02.2020

प्रतिनिधि निम्न को संयोजित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विधि न्यायाधीश, लोक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 71 दिनांक 07.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्री दलीप सिंह (R10300), विधि न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लोक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, जयपुर जिला, जयपुर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 02, जयपुर जिला, जयपुर।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

आजा से

 25.2.2020
 रजिस्ट्रार (बालक संरक्षण)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 596 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री राजेन्द्र सिंह तेजपुरिया (R10457), विशेष न्यायाधीश, अर्जसंचित जाति/अर्जसंचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), करौली को दिनांक 02.03.2020 से 07.03.2020 तक 06 दिनों का उपरोक्त अवकाश दिनांक 01.03.2020 एवं 08.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग को अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री तेजपुरिया की अर्जस्थिति में अपर जिना एवं सेशन न्यायाधीश, करौली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य को देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, अर्जसंचित जाति/अर्जसंचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), करौली के पद पर ही होने की संभावना है।

आजा से
25.02.2020
राजेश्वर (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/89/2002/ 1386 दिनांक : 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिना एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 1024 दिनांक 14.02.2020 के संदर्भ में।

3. श्री राजेन्द्र सिंह तेजपुरिया (R10457), विशेष न्यायाधीश, अर्जसंचित जाति/अर्जसंचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), करौली।
4. विशेष न्यायाधीश, अर्जसंचित जाति/अर्जसंचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), करौली।
5. अपर जिना एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।

सहायक रजिस्ट्रार

25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश/५९५/2020 दिनांक १५/02.2020

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (R10180), विहिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वर्तु अष्टानियम, जोधपुर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपरिचित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपथित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपशोवा को अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अर्जपरिस्थिति में विहिष्ठ न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य को देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विहिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वर्तु अष्टानियम, जोधपुर के पद पर ही होने की सम्भावना है।

आजा से
25.2.2020
राजस्थान उच्च न्यायालय

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2013/ 1385 दिनांक: 25/02.2020
प्रतिनिधि निम्न को संयोज्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विहि एवं विहिठक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. विहिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वर्तु अष्टानियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 13 दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (R10180), विहिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वर्तु अष्टानियम, जोधपुर।
4. विहिष्ठ न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय
25.2.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश/९९५ /2020 दिनांक १९.02.2020

श्रीमती शीर्ष चौधरी (R10749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर को दिनांक 10.02.2020 से 12.02.2020 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अर्जपुस्तिका में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर में इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2013/ 138५ दिनांक 25.02.2020

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निर्मा एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1723 दिनांक 13.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्रीमती शीर्ष चौधरी (R10749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर।

महानगर मजिस्ट्रेट

१९.०२.२०२०

राजिस्ट्रार (वकीलराज)

१९.०२.२०२०
आजा से

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.रा.न्या.सं.अवकाश / ९९३ / २०२० दिनांक: २५.०२.२०२०

संश्लेषी धीमे नायक (R10430), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपजित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अर्जाएँ सहित स्वीकृत किया जाता है।

संश्लेषी नायक की अर्जाएँ सहित सं विधि न्यायाधीश, अर्जसहित जालि/अर्जसहित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, झालावाड़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ के पद पर ही होने की संभावना है।


क्रमांक:- स्था.बी.२(4)/63/2002/ 1383 दिनांक: 25.02.2020

पतिलिपि निम्न को संयुक्त एवं आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 285 दिनांक 20.01.2020 के संदर्भ में।
3. संश्लेषी धीमे नायक (R10430), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
5. विधि न्यायाधीश, अर्जसहित जालि/अर्जसहित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, झालावाड़।

सहायक रजिस्ट्रार

25-2-2020

आजा से

रजिस्ट्रार (वकीलपत्र)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 592 / 2020 दिनांक 25.02.2020

श्री नवीन कुमार किलानिया (R10781), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीमाथापुर (सीकर) को दिनांक 29.01.2020 से 01.02.2020 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री किलानिया की अर्जपरिस्थिति में अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, श्रीमाथापुर (सीकर) में इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीमाथापुर (सीकर) के पद पर ही की गई।

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/64/2013/ 1382 दिनांक : 25.02.2020

प्रतिनिधि लिम्ब को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धरित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 622 दिनांक 04.02.2020 के संदर्भ में।
3. श्री नवीन कुमार किलानिया (R10781), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीमाथापुर (सीकर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीमाथापुर (सीकर)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, श्रीमाथापुर (सीकर)।

सहायक रजिस्ट्रार
25.2.2020

आजा सं
25.2.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 591 / 2020 दिनांक 25.02.2020

सुश्री विनायिका शीमा (R30702), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर) को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपजित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपशांग की अर्जमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री शीमा की अर्जपरिस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा सं

राजिस्ट्रार (वकीलरग)

दिनांक: 25.02.2020

क्रमांक:-स्था.बी.२(4)/71/2011/ 1381

प्रतिरिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धरित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 559 दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में।
3. सुश्री विनायिका शीमा (R30702), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, बीर (भरतपुर)।

सहायक राजिस्ट्रार

25.2.2020